प्रतिवेदन

कार्य का नामः— जनपद उत्तरकाशी में विकास खण्ड नौगांव के नौगांव स्यूरी मोटर मार्ग के किम्मी बैण्ड से बिरूथा रस्टाडी होते हुये कण्डाऊ तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 3.15 हे0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

सम्बन्धित ग्राम— किम्मी, कण्डाऊ, रस्टाडी, नैणी, मटियाली, नौगांव, पिसाऊ, कोटियालगांव मंजियाली आदि।

उपरोक्त विषयक जनपद उत्तरकाशी में विकास खण्ड नौगांव स्यूरी मोटर मार्ग के किम्मी बैण्ड से बिरूथा रस्टाडी होते हुये कण्डाऊ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य की स्वीकति शासनादेश संख्या 1953/III-2/09-29(प्रा0आ0)/06 दि0 4.9.2006 द्वारा रू0 168.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुयी है। यह मोटर मार्ग नौगांव स्यूरी मोटर मार्ग के किम्मी बैण्ड से प्रारम्भ होता है इस प्रस्तावित मार्ग में लगभग 11 गांव आते है जिनकी जनसंख्या लगभग 1800 है। इस मार्ग के समरेखण में 340 वृक्ष आ रहे है, जिनका पातन किया जाना प्रस्तावित है। मोटर मार्ग निर्माण में भूमि का अधिग्रहण 7.00 मीटर चौडाई में किया जाना है। जिनमें सिविल सोयम/आरक्षित वन भूमि का प्रस्ताव गठित किया गया है। मार्ग के 3.225 कि0मी0 लम्बाई में 2.25 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 1.275 कि0मी0 लम्बाई में 0.8925 हे0 सिविल सोयम भूमि तथा 3.500 कि0मी0 लम्बाई में 2.45 हे0 निजी भूमि पडती हे। मार्ग पर कुल 3.15 हे0 सिविल/आरक्षित वन भूमि 4.60 कि0मी0 लम्बाई में पडती है।

मोटर मार्ग निर्माण कार्य में आने वाली आरक्षित/सिविल सोयम वन भूमि का उल्लेख संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में संलग्न है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो.नि.वि. बड़कोट
उत्तरकाशी।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो.नि.वि. बड़कोट
उत्तरकाशी